विविध **बैंक प्रकरण संख्या 21/2020(GCMS : 2020/00067) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–** नई कृषि मंडी, श्रीगंगानगर जरिये जसबीर सिंह मीलू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम 1. तारा चंद पुत्र गोपाल चंद** निवासी मकान नं. 699, गली नं 07, 3 ई छोटी, एसएसबी रोड, शिव नगर, श्रीगंगानगर

11.05.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैक ने अप्रार्थी ताराचंद द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उसके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 699 (क्षेत्रफल 1038 वर्गफुट), किल्ला नं. 03, मुरब्बा नं. 27/29, गली नं. 07, चक 3 ई छोटी, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2020 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 10.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी तारा चंद के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी तारा चंद द्वारा बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 699 (क्षेत्रफल 1038 वर्गफुट), किल्ला नं. 03, मुरब्बा नं. 27/29, गली नं. 07, चक 3 ई छोटी, एसएसबी रोड, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार की कोई**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:55 IST
Reason: SelfAttested

निलो प्रोजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में शामिल किया गया । इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:55 IST
Reason: SelfAttested